उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:96/2017/1802/छप्पन-2017-06/2013
लखनऊ : दिनांक : 01 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2117/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03, जनवरी, 2013 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 31,000/- (रूपए इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया था, जिसकी अवधि दिनांक 06 जनवरी, 2015 को समाप्त हो गयी थी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ायी गई है। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-07/2017/1520/छप्पन-2016-06/2013, दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 55,301/- (रूपए पचपन हजार तीन सौ एक मात्र) पर दिनांक 07 जनवरी, 2017 से दिनांक 06 जनवरी, 2018 तक (अर्थात 01 वर्ष) के लिए बढ़ाई गयी थी, जो दिनांक 06 जनवरी, 2018 को समाप्त हो रही है। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी द्वारा अपनी संविदा अवधि अग्रेतर बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है और यह भी कहा है कि श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी द्वारा अपना कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। साथ ही निदेशक, ए0टी0आई0 ने प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि अग्रेतर एक वर्ष बढ़ाने का प्रकरण शासन को संदर्भित किया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2018 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 06 जनवरी, 2019 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रु0 58,066/- (रूपए अट्ठावन हजार छियासठ मात्र) पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक एवं वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि अनुमन्य होगी।

2- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

3- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, (संविदा)
प्रवक्ता (विद्युत),
एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-96/2017/1802(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. कार्मिक अनुभाग-1
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।